न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या–01, गोण्डा।

उपस्थितः– श्रीमती नम्रता अग्रवाल, एच.जे.एस.–J.O.Code-UP2661

सिविल निगरानी संख्या–115/2024

CNR No-UPGD01006493-2024

1– **रामदेव बालिग** पुत्र नकछेद निवासी घमरैया, परगना ग्वारिच, तहसील तरबगंज/करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

2– शिवकुमार बालिग पुत्र नकछेद निवासी घमरैया, परगना ग्वारिच, तहसील तरबगंज/करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

––––––––––निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण

प्रति

1– राम प्रहलाद बालिग पुत्र गया प्रसाद,
2– राम गोपाल उम्र 40 वर्ष,
3– कृष्णदेव उम्र 37 वर्ष,
4– ऋषभदेव उम्र 35 वर्ष,
5– कपिलदेव उम्र 30 वर्ष,
6– सत्यदेव उम्र 25 वर्ष पुत्रगण–राम प्रहलाद।
7– राकेश उम्र 50 वर्ष पुत्र संतराम,
8– पंकज उम्र 30 वर्ष,
9– सचिन उम्र 25 वर्ष पुत्रगण राजेन्द्र,
10– अनिल कुमार बालिग पुत्र भगतराम,
11– ईश्वरदत्त उम्र 75 वर्ष पुत्र श्याम सुन्दर निवासीगण–खड़ौरा परगना डिकसिर, तहसील तरबगंज, जिला गोण्डा।

––––––––––––––––प्रत्यर्थी/वादीगण

निर्णय

1– यह व्यवहार निगरानी धारा–115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विद्वान न्यायालय सिविल जज (जू0डी0), गोण्डा द्वारा मुकदमा सामान्य वाद संख्या–151/1970 राम अचरज बनाम रामराजी आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 के द्वार वाद बिन्दु संख्या–5 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है। दीवानी निगरानी माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के न्यायालय में प्रस्तुत होकर अंगीकृत व पंजीकृत की गई। तदोपरान्त् इस न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की गई है।

2– निगरानीकर्ता के निगरानी में लिया गया आधार संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण के उत्तर पत्र के माध्यम से वादग्रस्त सम्पत्ति जो कृषि योग्य भूमि होने तथा वाद पत्र के अभिकथनो से प्रश्नगत प्रकरण शून्य प्रकृति के दस्तावेजो के बाबत न्याय प्रतिकार याचित किया गया है जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा प्रश्नगत वाद व्यवहार न्यायालय में अवेट हो जाने के विषय में

Digitally signed by NAMRATA AGRAWAL
Date: 2026.03.13 11:11:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उठाये गये अभिवचनो के तहत वाद बिन्दु सं० 5 जो कि सकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य होने के बावजूद नकारात्मक रूप से निर्णीत करने में विधि एवं नियमो की अनदेखी करते हुए पारित किया गया आदेश पूरी तरह से अवैध, अशुद्ध अनौचित्यपूर्ण एवं विधि के विरूद्ध है, जो खण्डित होने योग्य है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य चकबन्दी में मामला विचाराधीन होने एवं न्यायिक अभिमत के तहत धारा 52 चकबन्दी अधिनियम का प्रकाशन हो जाने के उपरान्त भी उपरोक्त मामलो के विषय में चकबन्दी प्रक्रिया लम्बित होने का अभिमत जाहिर किया गया है। उपरोक्त विधि व्यवस्था विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी लेकिन उसका कोई उल्लेख अपने आदेश में न करते हुए मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए पारित किया गया आदेश पूरी तरह से अवैध, अशुद्ध अनौचित्यपूर्ण एवं विधि के विरूद्ध है, जो खण्डित होने योग्य है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा U/S 5 C.H. Act 1953 के तहत चकबन्दी अधिनियम में दिये गये प्राविधानो की गलत रूप से व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया है। जबकि वाद बिन्दु सं० 5 के तहत प्रश्नगत वाद चकबन्दी प्राविधान के तहत अवेट होने योग्य रहा। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि चकबन्दी प्राविधान में U/S 5 C.H. Act 1953 एवं U/S 49 C.H. Act 1953 निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

Section 4(1) (a) section 5(2) (a) and section 49 and 52(1), 52(1-A) and 52 (2) of the Act 1953 are relevant to be reproduced here under:-

"14. Declaration and notification regarding consolidation.- (1)(a) The State Government may, where it is of opinion that a district or part thereof may be brought under consolidation operations, make a declaration to that effect in the Gazette, whereupon it shall become lawful for any officer or authority who may be empowered in this behalf by the District Deputy Director of Consolidation-

(i) to enter upon and survey, in connection with rectangulation or otherwise, and to take levels of any land in such area;

(ii) to fix pillars in connection with rectangulation, and;

(iii) to do all acts necessary to ascertain the suitability of the area for consolidation operations.

(b) The District Deputy Director of Consolidation shall cause public notice of the declaration issued under clause (a) to be given at convenient places in the said district or part thereof.

[Section 5(2)(a):- Upon the said publication of the notification under sub-section (2) of Section 4, the following further consequences shall ensue in the area to which the notification relates, namely -

(a) every proceeding for the correction of records and every suit and proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land lying in the area, or for declaration or adjudication of any other right in regard to which proceedings can or ought to be taken under this Act, pending before any Court or authority whether of the first instance or of appeal, reference or revision, shall.on an order being passed in that behalf by the Court or authority before whom such suit or proceeding is pending, stand abated Provided that no such order shall be passed without giving to the parties notice by post or in any other manner and after giving them an opportunity of being heard: Provided further that on the issue of a notification under sub-section (1) of Section 6 in respect of the said area or part thereof, every such order in relation to the land lying in such area or part as the case may be, shall stand vacated; माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा U/S 5 C.H. Act 1953 के तहत उपरोक्त प्राविधान किस स्तर पर लागू होगे, परिभाषित किया गया है। जबकि चकबन्दी प्रक्रिया के तहत U/S 5 C.H. Act 1953 के प्राविधान दीवानी न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में लम्बित वाद के दौरान U/S 4 (2) C.H. Act के तहत प्रकाशन होने के उपरान्त ऐसे सभी मामले जिसमे घोषणाधिकार एवं स्वत्त्व एवं शून्य दस्तावेज बाबत कृषि योग्य भूमि के विषय में किसी भी स्तर पर विचाराधीन होने के नाते चकबन्दी न्यायालय का क्षेत्राधिकार (jurisdiction of consolidation court is much wider than that of civil and revenue court-- procedings in respect of such deeds shall stand abated. का

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाएं विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक कर्तव्यो का निर्वाहन न करते हुए उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख आदेश मे न कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। Effect of notification u/s. 4 of the C.H. Act, 1953 on the suits pending incivil courts--- On the notification u/s. 4 of the C.H. Act, 1953 being issued, byoperation of law u/s. 5 of the Act, the suit gets abated. Even an appeal pendingbefore the Supreme Court becomes infructuous.

1. Bhola Nath Rai vs. Vishwanatha Rai, 1969 RD 218 (SC-Three-JudgeBench)

2. Ram Adhar Singh vs. Ramroop Singh, 1968 RD 254 (SC) प्रश्नगत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मात्र इस बिन्दु का उल्लेख करते हुए कि चकन्दी प्रक्रिया लम्बित होने तथा धारा 52 का प्रकाशन न होने का कोई तथ्य व साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है. पूरी तरह से गलत है। प्रश्नगत मामले में मामला विचाराधीन होने की प्रश्नोत्तरी दाखिल की गयी है तथा वादीगण द्वारा वाद बिन्दु सं० 5 व अतिरिक्त उत्तर पत्र में उल्लिखित अभिवचनो को अमान्य किये जाने का कोई अभिकथन व साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है इसलिए उपरोक्त मामले में विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मनमाना रवैया अपनाते हुए आदेश पारित किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिवचनों के विपरीत एवं बिना परिशीलन के है। मा० विवादित सम्पत्ति जो कि कृषि योग्य भूमि है जिसके विषय मे घोषणा एवं मंसूखी दस्तावेज बैनामा की याचना करते हुए उपरोक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन चला आ रहा है। वादपत्र में उल्लिखित अभिकथनो द्वारा यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा याचित न्याय प्रतिकार प्रश्नगत दस्तावेज बैनामो को बिना अधिकार निष्पादित होने के कारण शून्य दस्तावेज होने का अभिकथन अंकित किया गया है। क्षेत्राधिकार का बिन्दु वादपत्र के अभिकथनों एवं याचित न्याय प्रतिकार से शासित होता है। उपरोक्त मुकदमे में वादपत्र में दर्शित अभिकथनो से मुख्य मामला घोषणाधिकार का निहित होने के फलस्वरूप घोषणाधिकार बाबत कृषि योग्य भूमि के विषय मे चकबन्दी प्रक्रिया के तहत मामला अवेट हो जाने का प्राविधान है। विवादित सम्पत्ति के विषम में पक्षकारों के मध्य चकबन्दी अधिकारी गोण्डा, बन्दोबस्त अधिकारी गोण्डा एवं उप संचालक चकबन्दी के यहां मामले विचाराधीन चले आ रहे है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवादित सम्पत्ति के विषय में चकबन्दी पक्रिया प्रभावी चली आ रही है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुरूप उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) सपठित धारा 5 (2) (A) एवं धारा 52 (2) के तहत सीमांओ की व्याख्या उल्लिखित करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि चकबन्दी न्यायालय में अधिकारो के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन होने की दशा में चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 की अधिसूचना जारी हो जाने का कोई प्रभाव न पड़ते हुए मामला विचाराधीन होने के फलस्वरूप चकबन्दी प्रक्रिया प्रभावी माने जाने का अभिमत दर्शित किया गया है जिसके फलस्वरूप उपरोक्त मामला व्यवहार न्यायालय में विधि द्वारा वर्जित हो जाने के कारण उपरोक्त चकबन्दी न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय से अधिक है। इसलिए घोषणाधिकार का प्रश्न निहित होने तथा पक्षकारो के मध्य चकबन्दी न्यायालयो मे वाद लम्बित होने के फलस्वरूप उपरोक्त वाद व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता बाधित हो जाने की दशा में उपरोक्त दावा धारा 5 चकबन्दी अधिनियम के तहत सम्पूर्ण बाद अवेट किये जाने योग्य होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य एवं परिस्थितियो पर बिना विचार किये हुए अपने निहित क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग न करते हुए जाहिर किये जाने वाला अभिमत विधि विरूद्ध, अवैध, दूर्षित क्षेत्राधिकार विहीन, अनौचित्यपूर्ण होने के साथ–साथ बिना न्यायिक मष्तिस्क का प्रयोग किये हुए विधि एवं नियमो की गलत व्याख्या करते हुए पारित किया गया है जो खण्डित किये जाने योग्य है। विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश में

तात्विक अनियमितता है एवं विधि विरूद्ध है जिससे निगरानीकर्ता के साथ गम्भीर अन्याय हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया मनमाने तौर पर एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है। विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों एवं विचारण के समक्ष दाखिल विधि व्यवस्था जो कि प्रश्नगत मामले में पूरी तरह से प्रयोज्य होने के नाते उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख न करते हुए न्यायिक मष्तिस्क का प्रयोग न करके कानूनी रूप से त्रुटि कारित की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.09.2024 पारित करने में अवैधता, अशुद्धता अथवा अनौचित्यता कारित किया है और कार्यवाहियों में अनियमितता बरती गयी है। प्रश्नगत आदेश विधिपूर्ण एंव उचित प्रतीत नही होता है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। ऐसी दशा में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (Non-speaking casual routine manner without applying his judicial mind) होने के नाते प्रत्येक दशा में Preserve, illegal and miscarriage of justice है और ऐसी दशा में आदेश दिनांक 05.03.2024 बावत वाद बिन्दु सं० 5 का सकारात्मक रूप से न किये जाने के विषय के कायम रहने से निगरानीकर्तागण को irreparable injury पहुँच रही है। इन कथनों के आधार पर निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार करके आदेश दिनांकित 05.09.2024 निरस्त किए जाने की याचना की है।

3– निगरानीकर्ता ने अपने समर्थन में विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांकित 05.09.2024 की प्रमाणित प्रति व शपथ पत्र दाखिल किया है तथा अपने समर्थन में विधि व्यवस्था बजरंग बहादुर त्रिपाठी बनाम छोटेलाल एल0सी0डी0 1984(2) 201, गगनदीप प्रतिष्ठान पी0वी0टी0 और अन्य बनाम मेसर्स मेकानो और अन्य ए0आई0आर0 2002 एस0सी0 204, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड वक्फ और अन्य बनाम गोपाल सिंह विसारद और अन्य एल0सी0डी0 1990(8) 418, दाखिल की गयी है।

4– प्रश्नगत मामले में विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 14ग2 दाखिल कर कथन किया गया कि यह कि उक्त दीवानी निगरानी निगरानीकर्तागण द्वारा सामान्य वाद संख्या–151/1970 रामअचरज आदि बनाम श्रीमती रामराजी आदि में पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 के विरूद्ध दिनांक 25.11.2024 को आपत्तिकर्तागण को पक्षकार बतौर विपक्षी संख्या–1 लगायत 6 बनाते हुए प्रस्तुत की गई है। विद्वान विचारण परीक्षण न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या–5 कि ''क्या वाद धारा–5 उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है'' का निस्तारण उभयपक्षों को सुनकर वाद के तथ्यों एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर समुचित रूप से विचार करने के पश्चात् वादीगण/आपत्तिकर्तागण के पक्ष में व प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण के विरूद्ध प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 पारित करते हुए किया है। विक्षन विचारण न्यायालय के समक्ष वाद आपत्तिकर्तागण/वादीगण की ओर से वास्ते घोषणा बावत् मंसूखी दस्तावेज आदि दायर किया गया है, जिसमें वादीगण की ओर से यह अनुतोष चाहा गया है कि ''डिक्री घोषणात्मक वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान किया जावे कि बैनामाजात तथा इंतकालात व दस्तबरदारी वर्णित धारा–9 आईटम नं० 1 लगायत 4 वाद पत्र बावत् भूमि अंकित सूची क, ख, ग, घ संलग्न वाद पत्र बामुकाबले वादीगण बाद स्वर्गवास होने श्रीमती रामराजी प्रतिवादिनी नं० 1 नाजायज (Void) कलअदम व बेअसर है।'' जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–5 (2) यह प्राविधानित करती है कि–Upon the said publication of the notification under sub section (2) of section 4 the following further consequences shall ensue in the area to which the notification relates, namely- जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–5 (2) ए यह प्राविधानित करती है कि

"every proceeding for the correction of records and every suit and proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land lying in the area, or for declaration or adjudication of any other right in regard to which proceedings can or ought to be taken under this Act, pending before any Court or authority whether of the first instance or of appeal, reference or revision,shall, on an order being passed in that behalf by the Court or authority before whom such suit or proceeding is pending stand abated:" जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–5 (2) ए जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है कि ''अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो, या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उप शमिति हो जायेगा।'' विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वाद दस्तावेज इत्यादि को मंसूख किये जाने की घोषणा किये जाने के बावत् है। उक्त वाद में केवल एक अनुतोष दस्तावेज इत्यादि को मंसूख किये जाने की घोषणा किये जाने के बावत् चाहा गया है, किसी दस्तावेज (Deed) को मंसूख किये जाने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। चकबन्दी न्यायालय या राजस्व न्यायालय को किसी दस्तावेज (Deed) को मंसूख करने का अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में उक्त दस्तावेज (Deed) मंसूखी का वाद चकबन्दी अथवा राजस्व न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार से बाहर है, जिससे उक्त वाद में धारा–5(2)ए उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की बाधा नहीं है। धारा–5 (2) ए उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 में किसी भूमि में अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध ने प्रत्येक वाद और कार्यवाही अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो, या की जानी चाहिए, [every suit and proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land lying in the area, or for declaration or adjudication of any other right in regard to which proceedings can or ought to be taken under this Act] की ही सुनवाई की जा सकती है। उक्त वाद में वादीगण द्वारा विवादित भूमि में अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में inrespect of declaration of rights का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, बल्कि मंसूखी दस्तावेज (Deed) आदि की घोषणा के बावत् अनुतोष चाहा गया है। ऐसी दशा में उक्त वाद की सुनवाई का श्रवण क्षेत्राधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है, न कि चकबन्दी या राजस्व न्यायालय को। ऐसी दशा में वादीगण का उक्त वाद जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा–5 (2)ए से बाधित नहीं है। उक्त वाद वर्ष 1970 में वादीगण द्वारा योजित किया गया है, उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए सम्बन्धित ग्राम खड़ौरा की प्रथम बार की चकबन्दी का धारा–52 (1) जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 का प्रकाशन तथा उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए उक्त ग्राम को द्वितीय चकबन्दी की धारा–4(2) उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 और द्वितीय चकबन्दी की धारा–52 (1) उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 का प्रकाशन काफी समय पूर्व होकर सम्बन्धित ग्राम खड़ौरा में चकबन्दी प्रक्रिया काते समय पूर्व समाप्त हो चुकी है। सम्बन्धित ग्राम बड़ौरा के थाना–52 (1) उ0 प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 का प्रकाशन होकर पकबन्दी प्रकिया समाप्त हो जाने के पश्चात् दीवानी न्यायालय में विचाराधीन किसी वाद को जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा–5(2)ए से बाधित नहीं माना जा सकता है। निगरानीकर्तागण प्रतिवादीगण ने अपने उत्तर पत्र में

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद के सम्बन्ध के बावत धारा–5 (2)ए उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 से बाधित होने की दलील (Plė) नहीं ली है। जो उक्त वाद प्रस्तुत होने के 55 वर्ष बाद सम्बन्धित ग्राम खड़ीरा की चकबन्दी प्रक्रिया दो बार होकर समाप्त हो जाने के पश्चात् निगरानीकर्तागण ६ प्रतिवादीगण ने अपने अतिरिक्त उत्तर पत्र में वादीगण का वाद धारा–5 (2) ए से बाधित होने की दलील (Plea) ली हैं, जो उक्त वाद के वर्तमान स्तर पर कतई प्रयोज्य (Usable) नहीं है। उक्त वाद में पारित आदेशों के विरूद्ध अपील न्यायालय श्रीमान् अपर जनपद न्यायाधीश व अपील में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण द्वारा दायर F.A.F.O (First Appeal from order) निरस्त हो चुकी है। निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण द्वारा किसी स्तर पर आपत्तिकर्तागण/वादीगण का वाद उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा–5(2) ए से बाधित होने को दलील (Plė) किसी न्यायालय के समक्ष नहीं ली गई है, जिससे उक्त वाद जो वर्तमान समय में आपत्तिकर्तागण/वादीगण के साक्ष्य में नियत है, तथा आपत्तिकर्तागण/वादीगण के साक्षियों का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल होकर पत्रावली जिरह में नियत है, के स्तर पर निगरानीकर्तागण/ प्रतिवादीगण द्वारा केवल मुकदमें की कार्यवाही को विलम्बित करने के लिए अपने अतिरिक्त उत्तर पत्र जिसका अवसर उन्हें वाद में प्रतिस्थापन के बावत् संशोधन किये जाने पर प्राप्त हुआ था, में वादीगण का वाद उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की बारा–5 (2) ए से बाधित होने की ली गई दलील (Plea) नियमानुसार प्रयोज्य (Usable) नहीं है। विवादित दस्तावेज बनामेजात शून्यकरणीय दस्तावेज हैं, जिनके प्रभाव में रहने से वादीगण/आपत्तिकर्तागण के हितों पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका है, दस्तावेज बैनामेंजात को मंसूख किये जाने का वाद भी दीवानी न्यायालय के समक्ष जिससे आपत्तिकर्तागण/वादीगण द्वारा उनके मंसूख किये जाने की घोषणा के बावत उक्त वाद विद्वान विचारण परीक्षण न्यायालय के समक्ष योजित किया गया है। दस्तावेज बैनामेंजात को मंसूख किये जाने का वाद भी दीवानी न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 उभयपक्षो को सुनने के पश्चात् विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्तागण द्वारा ऐसी कोई विधि परीक्षण न्यायालय ने नामले के लथ्यों पर समुचित रूप से विचार करते हुए व्यवस्था दाखिल नहीं की गई थी, जिससे उनके कथन को बल मिल सके। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 को पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है जिससे उसके विरूद्ध प्रस्तुत उक्त निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–5 के प्राविधानों पर रुनुचित रूप से विचार व उसकी सही व्याख्या करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 पारित किया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या–5 के तहत अवेट किये जाने योग्य नहीं था, जिससे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 में किसी भी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, जिससे उसके विरूद्ध प्रस्तुत उक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित वाद सामान्य वाद संख्या–151/1970 रामअचरज आदि बन्ना श्रीमती रामराजी आदि वर्ष 1970 से विचाराधीन है, जिसमें दाखिल उत्तर पत्र में वाद धारा–5 उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित होने की कोई दलील (Piea) नहीं ली गई। अरसा 64 वर्ष बाद

अतिरिक्त उत्तर पत्र दाखिल करके वाद धारा–5 उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित होने की दलील (Plea) ली गई है, जो केवल मुकदमें की कार्यवाही को विलम्बित करने की नियत से किया गया है, जिससे निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी माला फाई डी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 5 निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण से सम्बन्धित था, उसे साबित करने का भार निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण पर था। निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त निगरानी में जो आधार लिया गया है, वह विद्वान विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद की प्रकृति और उसमें चाहे गये अनुतोष का गलत अर्थ लगाते हुए वाद को धारा–5 उ० प्र० जांत चकबन्दी अधिनियम से बाधित होने का कथन किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर विचाराधीन वाद की प्रकृति और उसमें चाहे गये अनुतोष को दृष्टिगत रखते हुए वाद धारा–5 उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित न होने की विधि अनुसार अवधारणा की है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। उक्त निगरानी निगरानीकर्तागण प्रतिवादीगण की ओर से केवल 66 वर्ष पुराने मुकदमें को और भी विलम्बित कर उसका अतिम निर्णय न होने देन की नियत से प्रस्तुत की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 विधि अनुरूप नियमित और औचित्यपूर्ण है, जिससे उसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानीकर्तागण की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। इन कथनों के आधार पर आपत्ति स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निगरानी निरस्त किए जाने की याचना की है। प्रत्यर्थी की ओर से रामेश्वर दयाल बनाम जुम्मा और अन्य 2016 (131) आर0डी0 7, जगन्नाथ शुक्ला प्रति सीता राम और अन्य 1969 आर0डी0 पेज 429, गोरखनाथ दूबे बनाम हरी नरायन सिंह और अन्य आर0डी0 1973 पेज 423, प्रस्तुत किया गया है।

5– मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली व आदेश का परिशीलन किया।

6– निगरानी न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 05.09.2024 किसी अशुद्धता, अविधिकता और निष्कर्ष की अनौचित्यता से ग्रसित तो नहीं है?

7– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय में उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दु विरचित किए गये। जिसमें वाद बिन्दु संख्या 05 का निस्तारण करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.09.2024 पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रश्नगत निगरानी योजित की गई है।

8– वाद बिन्दु संख्या–5 इस आशय का विरचित किया गया कि–**क्या वाद धारा 5 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?** उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण करते हुए विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्षित किया कि–*'' उक्त बाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 द्वारा दाखिल अतिरिक्त उत्तर पत्र 357 क1/1 की धारा 9 में विवादित भूमि के विषय में पक्षकारों के मध्य चक्बन्दी अधिकारी गोण्डा के यहाँ मामले विचाराधीन होने के आधार पर चकबन्दी प्रक्रिया प्रभावी होने व धारा 11 में प्रस्तुत वाद धाला चकबन्दी अधिनियम के तहत अवेट किए जाने का कथन किया गया है। वादीगण द्वारा उक्त का मौखिक विरोध कर विवाचित भूमि के बावत धारा 52 में प्रकाशन हो जाने के आधार चकबन्दी प्रक्रिया लम्बित न होने का कथन किया है।*

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा सूची 356ग1/1 से प्रश्नोत्तरी कागज संख्या 356 ग1/2 प्रस्तुत किया है, जिसमें डी०डी०सी० के न्यायालय में वाजदायर का मुध्दमा विद्याराधीन होना अंकित है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा इस बावत कोई साक्ष्य नहीं दाखिल किया गया है कि विवादित सम्पत्ति के बावत चकबन्दी का प्रकाशन अन्तर्गत धारा 52 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 नहीं हुआ इस तथ्य का उल्लेख ही अपने अतिरिक्त उत्तर पत्र 357 क 1/1 में किया गया है, जबकि धारा 5 चकबन्दी अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत सरकारी गजट में धारा 4 (2) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 52 अथवा धारा 6 (1) के अधीन, जैसी भी देशा हो, अधिसूचना प्रकाशित होने तक धारा 4(2) के अधीन अधिसूचना सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के, उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भूमि में अधिकारी या स्यत्व के प्रख्यायन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद व कार्यवाही उपशमित हो जाएगा। परन्तु प्रस्तुत बाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा धारा 4 (2) उत्तर प्रदेश जोत चाबन्दी अधिनियम, 1963 के तहत प्रक्रिया लम्बित होने अथवा अन्तर्गत धारा 52 प्रकाशन न होने के बावत कोई तथ्य व साक्ष्य पत्रावली पर नहीं प्रस्तुत किया है। अतः उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत वाद का धारा 5 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1963 के प्रधानों से बाधित नहीं होना पाया जाता है, तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 5 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निणीत किए का आदेश पारित किया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत निगरानी योजित की गई है।''

9– पत्रावली पर उपलब्द्ध अभिलेखों का परिशीलन करने से स्पष्ट है कि वादी रामअचरज आदि ने प्रतिवादीगण श्रीमती रामराजी आदि के विरूद्ध सामान्य वाद सं0 151/1970 राम अचरज आदि बनाम श्रीमती रामराजी आदि घोषणा बावत मंसूखी दस्तावेज आदि दायर किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.09.2024 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी योजित की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 49 चकबन्दी अधिनियम की बाध्यता का प्रश्न पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर तक निर्धारित किया जा चुका है। तत्कालीन तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 01.05.1979 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रस्तुत प्रकरण की सूची ग व घ में वर्णित भूमि चकबन्दी अधिनियम की धारा 49 चकबन्दी अधिनियम से बाध्य है परन्तु सूची क व ख में वर्णित भूमि चकबन्दी अधिनियम की धारा चकबन्दी अधिनियम से बाध्य नही है। उपरोक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अपनी अंतिमता को प्राप्त कर चुका है। प्रतिवादी द्वारा अब यह तर्क उठाया गया है कि जो सपत्ति धारा 49 चकबन्दी अधिनियम से बाध्य नही है, उचित नही है क्योंकि धारा 5 व धारा 49 चकबन्दी अधिनियम परस्पर अनन्य नही है जब चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी वाद कारण वहॉ नही था। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मुकदमा धारा 5 चकबन्दी अधिनियम के तहत अबेट किये जाने का प्रश्न विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2021 को भी निर्धारित किया जा चुका है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्षित किया गया है कि प्रस्तुत वाद धारा 5 चकबन्दी अधिनियम से बाधित नही है उपरोक्त प्रश्न का निर्धारण भी विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर पारित किया गया था। अतः प्रतिवादी द्वारा पुनः उक्त प्रश्न को उठाया जाना प्राड़न्याय से बाधित है और इस स्तर पर बिना किसी पर्याप्त आधार के पुनः इस प्रश्न का निर्धारण नही किया जा सकता है।

10– उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दीवानी निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का

पर्याप्त आधार नहीं है। निगरानीकर्ता के तरफ से उद्धरित निर्णय के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्य से भिन्न हैं और उसमें प्रतिपादित सिद्धान्त का लाभ निगरानीकर्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अतः दीवानी निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

11– प्रस्तुत सिविल निगरानी **115/2024** रामदेव आदि बनाम राम प्रहलाद आदि निरस्त की जाती है। सामान्य वाद संख्या 151/1970 राम अचरज बनाम रामराजी आदि के प्रकरण में विद्वान सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.09.2024 को पुष्ट किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब सम्बधित न्यायालय में प्रेषित की जाए।

(नम्रता अग्रवाल)
J.O.Code-UP2661
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0–01,
दिनांक 09.03.2026 गोण्डा।

12– यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(नम्रता अग्रवाल)
J.O.Code-UP2661
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0–01,
दिनांक 09.03.2026 गोण्डा।